बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

संकल्प

विषयः–राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पूर्व सेवाकालीन एक वर्षीय बी० एड० कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संस्थान के विकास हेतु संशोधित मार्गदर्शिका–2012 ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्धारित मानकों के आलोक में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पूर्व सेवाकालीन एक वर्षीय बी०एड० कोर्स में नामांकन हेतु मार्गदर्शिका संकल्प सं० 11/व 2–01/2002–1068 दिनांक 04.07.2008 की निम्नांकित कंडिकाओं को संशोधित किया गया है, जो संशोधित मार्गदर्शिका–2012 कहलाएगी।

उक्त संकल्प की कंडिका–1, 3, 8, 11 एवं 12 मे निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:–

1. कंडिका – 1

(i) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंको की होगी, जिसमें आरक्षित कोटे/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारण हेतु अंको की गणना अतिरिक्त/ऐच्छिक विषयों के अंको के बिना की जायेगी। स्नातक योगयता के लिए पठित सभी विषयों (अतिरिक्त/ऐच्छिक को छोडकर) के स्नातक के साथ प्रतिष्ठा, समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार के लिए सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रतिशत की गणना होगी।

(ii) प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों को इस कार्य के लिये निर्धारित एक पंजो में संधारित किया जायेगा तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित कर बंद कर दिया जायेगा एवं उसी दिन संबंधित पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति कराकर निबंधित डाक से निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० एवं निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), पटना को प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक माह के अंदर नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) NCTE द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से 3 प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। इन 3 प्रतिशत में से दृष्टि बाधित के लिए 01 प्रतिशत, श्रवण बाधित के लिए 01 प्रतिशत तथा अस्थिजन्य के लिए 01 प्रतिशत होगा। किसी एक कोटि के निःशक्त द्वारा आवेदन नहीं करने की स्थिति में दूसरे कोटि के निःशक्त का उस सीट पर नामांकन किया जा सकेगा।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम 2003 (बिहार अधिनियम संख्या–16, 2003) का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(v) शेष 97 सीटों का विषयवार बँटवारा कुल 19 विषयों में होगा। उक्त विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी नामांकन हेतु योग्य नहीं माने जायेंगे। संकल्प संख्या–1068/04.07.2008 में वर्णित विषयों के क्रम में ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

2. कंडिका – 3

मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 11/व 2–01/2002/1068, पटना दिनांक 04.07.2008 की संशोधित कंडिका 03 निम्नवत होगी – चयन का आधार स्नातक में आवेदित विषय में प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत होगा। प्राप्त प्रतिशत को मेधा अंक मान लिया जायेगा। उसी विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी को अतिरिक्त 10 अंक प्रदान किए जायेंगे। कुल अंक समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। मेधा सूची कोटिवार तैयार की जायेगी। एक अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही विषय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक विषय में आवेदन करने की स्थिति में उसके नामांकन का दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

3. कंडिका 8

मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002/1068, पटना दिनांक 04.07.2008 की संशोधित कंडिका 08 निम्नवत होगी :

"नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रू० 12,000/ (बारह हजार रूपये) की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 4,500/ (चार हजार पाँच सौ) होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।

ली जानेवाली राशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त
1	नामांकन शुल्क	1200/–	300/–
2	भवन रख–रखाव	5000/–	1500/–
3	पुस्तकालय	1000/–	500/–
4	खेलकूद व्यवस्था	300/–	200/–
5	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200/–	200/
6	प्रयोगशाला	1500/	500/–
7	शैक्षिक भ्रमण (स्थानीय)	300/–	200/–
8	कौशन मनी	500/–	400/–
9	बिजली/पेयजल	500/-	300/
10	शिक्षण–अधिगम सामग्री	500/–	200/
11	शिक्षण अभ्यास एवं आंतरिक मूल्यांकन	1000/	200/
	कुल	**12000/–**	**4500/–**

नोट :–कौशन मनी की राशि प्रवेश के समय ही ली जायेगी, जो महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी"।

4. **कंडिका – 11**

मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002/1068, पटना दिनांक 04.07.2008 की संशोधित कंडिका 11 निम्नवत होगी :

"भवन के रख-रखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रख–रखाव प्रभारी छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो रू० 1,00,000/ (एक लाख रूपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे परंतु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मति का प्राक्कलन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंता से बनवाकर ही राशि व्यय की जा सकेगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यो पर निर्णय लेंगे तथा बैठक की कार्यवाही संधारित की जायेगी। मदवार व्यय किये गये राशि की प्रविष्टि हेतु एक पंजी संधारित की जायेगी। जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा। भवन मरम्मति में रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में बिहार राज्य शैक्षणिक आधार भूत संरचना विकास निगम से प्राक्कलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त कर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे।

5. **कंडिका 12**

मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002/1068, पटना दिनांक 04.07.2008 की कंडिका 12 निम्नवत होगी :

" भौतिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी इत्यादि, पुस्तकालयों के लिए पुस्तक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 17/16.01.2012 द्वारा गठित क्रय समिति रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से अनुमति प्राप्त कर करेगी"।

6. भविष्य में मार्गदर्शिका में संशोधन हेतु विभाग स्वयं सक्षम होगा।

7. मार्गदर्शिका संकल्प संख्या – 11/व 2–01/2002–1068 दिनांक 04.07.2008 की शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/

(जितेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 20/प्र 07-44/2012/../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित तथा 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–20/प्र 07-44/2012/../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव बिहार/विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

20/प्र 07-44/2012/......408....../पटना, दिनांक 4/10/12

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.10.12
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।